राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा पात्रता की रूपरेखा — 1988 Launch हुआ

①-

(NVEQF) — National Vocational Education Qualification Framework

NVEQF वर्तमान समय में चलायी गई स्कीम जिसमें उसके सिद्धान्त तथा दिशानिर्देश राष्ट्रीय स्तर पर सम्पादित स्कूल स्तर पर किया गया है। यह योजना व्यावसायिक होती है जिसमें उच्च शिक्षा की पात्रता से लेकर डाक्टरेट स्तर तक को शिक्षा में सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जिसमें सुदूर के क्षेत्र बहुविकासीय क्षेत्र तक के बच्चों को मानसिक स्तर के बुद्धि स्तर के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। तथा योजना में सामाजिक स्तर से पिछड़े बच्चों के साथ-2 जिसकी आवश्यकता की पहचान की जाती है उन्हें इस प्रकार की पात्रता में सम्मिलित किया जाता है।

इस प्रक्रिया में 12 राज्य के छात्रों को NVEQF में सम्मिलित किया जाता है जिसमें समन्वय समिति इनके शैक्षिक रिकार्ड की जाँच करती है यह कार्यक्रम 30 मई 2011 को प्रस्ताव में आया लेकिन सरकार के विभिन्न स्रोतों द्वारा इसे सही रूप नहीं दिया जा सका अर्थात CAB 58 बैठक के बाद 7 जून 2011 को लागू कर दिया।

① यह कार्यक्रम पूरी तरह व्यावसायीकरण तथा केन्द्र सरकार की विशेष स्कीम है जो माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को दी जाती है।
— इसे 1988 में लागू करने का प्रस्ताव रखा गया जिसमें राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश / गैर सरकारी संस्थान जो अनौपचारिक सेक्टर में कार्य करते हैं उनके द्वारा सम्पादित किया जाता है जो व्यावसायीकरण को बढ़ावा देकर लोगों में आत्मबल पैदा करता है। -

उद्देश्य — शिक्षा के विभिन्न जैविक विविधता को कम करने के साथ-2 अनियोजनता को भी कम करने की बात करता है जो व्यक्ति आवश्यकता तथा पूर्ति को कौशल रूप में विकसित करके उच्च शिक्षा में आते हैं उन्हें बढ़ावा देता है।

इसमें विभिन्न प्रकार के दिशानिर्देश जिसमें प्रबन्ध संरचना, पाठ्यक्रम निर्माण, मूलभूत सुविधाओं का विकास, व्यावसायिक सामग्री तथा शिक्षण अधिगम को बढ़ावा देता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के NGO जो भर्ती के नियम बजटीय व्यवस्था का निरूपण तथा विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कारखानों से समायोजन करते हैं।

NGO — Non Government Organisation

2) CBSE के द्वारा 34 व्यावसायिक कोर्स, 107 विषय में लगभग 500 राजकीय तथा अर्द्ध सरकारी स्कूलों को जोड़ा गया है जिसमें मुख्यतः विशेष बाजार प्रबन्धन, अस्पताली यकरण, पर्यटन, ~~मास~~ जनसम्पर्क, को परिचित कराता है। जिसमें विभिन्न प्रकार के कोर्सों को चलाकर व्यवसायों को एक विशेष प्रकार के प्रमाण पत्र को देना।

Scanned with CamScanner

(NVEQF) ①

NVEQF नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क

4→ नये पॉलिटेक्निक स्कूलों की स्थापना करना → भारत सरकार की अधिसूचना के अनुरूप 1000 पॉलिटेक्निक स्कूलों की स्थापना करना जिसमें 300 पॉलिटेक्निक स्कूल को राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेशों में NGO द्वारा सुदूर क्षेत्रों में जिला के अनुरूप स्थापना करना। 300सौ पॉलिटेक्निक स्कूल की सहभागिता सार्वजनिक एवं निजी सहभागी से राज्य सरकार तथा केन्द्रशासित राज्यों में स्थापना करना। इस 300 पॉलिटेक्निक स्कूलों के चयन करने का कार्य राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेश व विभिन्न औद्योगिक संस्थान जैसे FICCI तथा चैम्बर ऑफ कामर्स द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसका एक और कार्यों में 400और प्राइवेट स्कूल जैसे संस्थानों की स्थापना करना।

4·1 → अस्तित्व में रह रहे पॉलिटेक्निक स्कूलों को शक्तियाँ/मजबूती प्रदान करना —

डिप्लोमा के रूप में चल रहे स्कूलों को पॉलिटेक्निक स्कूल के रूप में क्रमबद्ध नवनिर्माण करके पॉलिटेक्निक स्कूल को चलाना तथा इस स्कूल को विशेष प्रकार के वित्तीय सहायताओं के अनुरूप माडर्न सामग्रीयों से सुसज्जित करना। इसके साथ-साथ शिक्षक आधिगम तथा टेस्ट प्रक्रियाओं में नयापन लाना तथा मूलभूत सुविधाएं (भवन) को नये डिप्लोमा के रूप में सुसज्जित करना —

4·2- पॉलिटेक्निक स्कूल में - लड़कियों के लिए नये हास्टल का निर्माण करना लड़कियों को आकर्षित करने हेतु राज्य वित्तीय सहायता प्राप्त कर लगभग 500 पॉलिटेक्निक हास्टलों का निर्माण करना

4·3 पॉलिटेक्निक समुदाय का निर्माण करना।

AICTE के मानक के अनुरूप चयनित पॉलिटेक्निक स्कूलों व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु समुदाय विकास पॉलिटेक्निक योजना (CDTP) स्कीम का निर्माण करना।

(NVEQF) ②

प्रत्येक पॉलिटेक्निक स्कूल में बहुरूपी अनौपचारिक रूप से स्कीम जैसे कार्यक्रमों को सम्मिलित करना लगभग 5 से 10 गाँव से सटा हुआ होना चाहिए - प्रत्येक पॉलिटेक्निक स्कूल लगभग 600 व्यक्तियों को हर वर्ष विभिन्न प्रकार के कौशल/रोजगार परक शिक्षा से अवगत कराना तथा ये निर्धारित करना कि उनकी आयु तथा योग्यता तथा गणना अन्दाज करते हुए बिना किसी फीस के उनको पढ़ाना।

5- जन शिक्षण संस्थान - इस शिक्षण योजना को ग्रामीण विद्यापीठ से जोड़ा गया है जिसमें व्यावसायिक शिक्षा हेतु आधिगम करता को निरक्षर होने के बावजूद बिना किसी पक्षपात के शहरी तथा ग्रामीण बच्चों को इस योजना में सम्मिलित करना यह व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में साक्षर तथा अर्द्धसाक्षर व्यक्ति को जो आर्थिक सामाजिक पिछड़े व्यक्ति को जिसकी उम्र 15 से 35 हो इस इस योजना में शामिल किया जाता है। इसमें महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इस समय लगभग 271 जनशिक्षण संस्थान देश के विभिन्न राज्यों में संचालित किये जाते हैं।